Act of Parliament relating to the Jawaharlal Nehru University and the Delhi University has not been followed and under what authority and procedure these enquiries are taking place. Under what regulation of the Act of Parliament is this being done?

MR. CHAIRMAN: He has followed you rquestion.

DR. V. P. DUTT: I am not sure; so I am making myself clear.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I have already made it clear that under the Act of Parliament constituting these Universities, only the Visitor can hold an enquiry. But to assist the Visitor, the Minister or the Ministry can act. Now the Prime Minister has got the overall power of looking into the affairs of the Ministries and by virtue of that power, he has taken upon himself this onerous task of setling their problems. Therefore, if the hon. Member insists on asking under what authority this has been done, I may say that there is no clear-cut provision in the statute, but there is a convention that the Visitor is guided by the advice of the Ministry, and therein the Prime Minister also is connected with thet Ministry stated.

I do not know what letter the hon. Member is refering to. I am not aware of any such letter and also whether on political grounds or whether on the ground that one is a Marxist or not, these enquiries have been made. We are all aware that there are a lot of complaints against both these Universities and Dr. Govind Roy Choudhury of the Delhi University, one of the oldest members of the Delhi University, has sent a complaint to the Shah Commission. The Shah Commission has been seized of the matter. With regard to the Jawaharlal Nehru University, the Students' Union made a complaint. Now, beyond that, there are other complaints also regarding the day-to-day affairs of the University. The matter is being looked into in a preliminary way.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: I only wanted a categorical assurance. During the Emergency, certain things happened in the Jawaharlal Nehru University which were not proper. But in the post-Emergency period also, from the other side, there is the same story of witch-hunting, which is amply indicated by the debate in the other House also, why so and so was appointed, who so and so was given such and such an appointment, that were the antecedents of so and so, what were the motivations and so on: This is really McCarthy-ism. I want an assurance from the hon. Minister, who is a very enlightened person, that he would not allow this to happen.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Regarding the appointments which were made in the past, the matter is *sub judice*. A court case has started. Therefore, I am not in a position to comment.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: For future, I wanted an assurance.

MR. CHAIRMAN: You can ask in your future supplementaries.

Accumulation of dues payable to the cane growers by the sugar mills

*183. SHRI INDRADEEP SINHA:
SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO:
DR. Z. A. AHMAD:†

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news report which appeared in the "Economic Times" of the 14th February, 1978 regarding accumulation of dues to the tune of about Rs. 45 crores payable to the cane growers by the sugar mills;

(b) if so, what are the details thereof; and

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Z. A. Ahmad

(c) what steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The total Price payable for cane purchased by vacuum pan sugar factories during 1977-78 sugar season upto 15.2.78 was about Rs. 332 crores. The arrears outstanding on that date amounted to Rs. 90.4 crores constituting 24.2 per cent of the price payable.

(c) A setatement listing the steps taken by the Government to reduce the arrears is placed on the Table of the Sabha.

Statement

Steps taken by Government to reduce arrears of cane price—

(i) A continuons dialogue is maintained with the State Governments to reduce the arrears.

(ii) The Sugarcane (Control) Order has been amended w.e.f. 2.2.78 to provide for a 15 per cent interest on delayed payment of cane price.

(iii) Provision has also been made in the Sugarcane (Control) Order for the transfer of cane price arrears for which there are no bonade claimants fom amongst the can egrowers concerned, to the State funds with the stipulation that the same will be utilised by the State Government as far as possible, for the development of sugarcane.

डा० जैड० ए० अहमद : यह सीमित सवाल मालूम होता है लेकिन इस के साथ एक बड़ी भयंकर समस्या जुड़ी हुई है। इस सीमित सवाल का भी जो जवाब दिया है वह यह है डायलाग चल रहा है राज्य सरकारों के साथ उस डायगाल का क्या नतीजा हुआ, हम जानना चाहते हैं और क्या नतीजा हो सकता है। फिर आप ने जरा सी रियायत कहीं दे दी है कि उन को 15 परसेंट ब्याज मिलेगा जिन का कर्जा है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह कर्जा जुड़ा हुआ है एक ऐसी समस्या के साथ जिस में कि केन ग्रोअर तबाह हो रहा है और मैं चाहता हूं कि इस के साथ ही जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या है उस का जवाब भी आप दें कि क्यों आज मिलें बंद हो गयी है ? क्यों आज गन्ना खड़ा है और क्यों उस के खरीदने वाले नहीं है ? क्यो आज यह हालत है कि मिलें बंद हो गयी हैं और मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। किसानों को गन्ने की कीमत कम मिल रही है 9 रुपये 5 रुपये और साढ़े 6 रुपये प्रति क्विंटल में बिक रहा है और लाखों करोड़ों किसान हमारे हमारे प्रदेश में मुख्यत: पश्चिम के और पूर्व के आज बिलकुल लाचार हो कर बैठे है और आचार्य दीपंकर, जो एक राजनीतिक कर्मठ नेता है उन्होंने इस को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। तो आप इस समस्या को कैसे हल कर रहे हैं ? इस का हल इस बड़े सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। इस को आप बताइये।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, इस सीमित प्रश्न का सीमित उत्तर तो मैं ने दे दिया, लेकिन अब व्यापक प्रश्न का व्यापक उत्तर देने का का भी प्रयास करूंगा। एक बात मैं यह बतला देना चाहता हूं कि स्थिति उतनी भयंकर नही है जितनी कि समझी जा रही है। जैसा मैं ने अपने बयान में कहा कि 24.2 फीसदी जो अदायगी होनी चाहिए वह नही हुई है लेकिन अगर उस तारीख को पिछले सालों में देखें तो 1974-75 में 15 फरवरी तक जो अदायगी नहीं हुई थी वह 20.5 फीसदी थी। 1975-76 मे यह 24 फीसदी थी। सिर्फ पिछले साल 1976-77 मे यह 17.3 थी और इस वर्ष 24.2 है। इस संबंध मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस को देखने का यह ठीक ढंग होगा कि दो हफ्ते में जितना गन्ना बिकता है उस की अदायगी जो नही हुई है उस का रेश्यो क्या है क्योंकि शुगर कंट्रोल आर्डर के अनुसार दो हफ्ते

तक जो आदायगियां होती है उन पर कोई आपत्ति नही की जा सकती है । इस दृष्टि से देखने पर यह पता चलेगा कि 1976-77 में दो हफ्ते के बीच इस तारीख को 2.21 हफ्ते का भुगतान बकाया रह गया था और इस वर्ष 1977-78 में यह सिर्फ 2.5 हफ्ते का बकाया है यानी सिर्फ आधा हफ्ते की रकम अभी अदा होने की बाकी है । मैं इस संबंध में यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष शुगर सीजन के अंत मे किसानों का जो बचा था वह सब से कम बचा था लेकिन पिछले तीन, चार वर्षों में तो हम पूरी तरह से इस स्थिति से अवगत हैं और इस के लिये बराबर प्रयत्न कर रहे हैं । अभी एक आदेश जारी हुआ है कि जो 14 दिन के बाद बकाया रह जायगा उस पर 15 फीसदी सूद दिया जायगा । इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया है कि मिलें अपने पास बकाया न रखें । जो कुछ भी रकम बकाया रहेगी वह मिलों के पास नही रह जायगी बल्कि उसको कलेक्टर के पास जमा करना पड़ेगा । वह तलाश करेगा कि किसकी रकम है उसको अदा करेगा यानी बकाया रोकने में फैक्टरी का कोई इंटरैस्ट बाकी नहीं रहेगा । इसके अतिरिक्त बैंकों से जो ऐडवांस किया जाता है उसको भी दो हफ्तों मे उन्हे दिया जाता है । विशेषकर उत्तर प्रदेश में आज भी जो बैंक ऐडवांस होता है उसका 85 फीसदी सिर्फ गन्ने की अदायगी के लिए अलग रोक लिया जाता है और यही कारण है कि अदायगी रोकने की कोई बड़ी संभावना नहीं है ।

वैसे हमने परसों जो वक्तव्य दिया था उसमें भी कई बातें कही गई थी जिससे स्थिति में सुधार आयेगा । एक तो लैवी प्राइम बढ़ा दी गई है । इससे मिलों की कुछ माली दशा सुधरेगी उनको जितना बैंक ऐडवांस मिलता था वह रकम भी बढ़ा दी गई है जिससे उनके पास पैसा होगा और वे दे सकेंगे ।

साढ़े 6 लाख टन चीनी का ऐक्सपोर्ट करने का निश्चय कर लिया गया है । कीमतें कुछ सुधरेंगी । फिर मई और जून के अन्दर जो मिलें गन्ने की पिराई करेंगे उस पर पिछले वर्ष के समान ही एक्साईज ड्यूटी का रिलीफ दिया जाएगा क्योंकि उस समय चीनी पड़ता गिर जाता है और यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है जिससे मिलों में काम चलता रहे और वे तब तक चलती रहे जब तक गन्ना समाप्त न हो जाए । ये सारे कदम उठाये गये हैं जहां तक बड़ी मिलों का प्रश्न है ।

छोटी गुड़ और खांडसारी इकाइयों के विषय में भी हम विचार कर रहे हैं । अभी मैं कल मुजफ्फरनगर व मेरठ मंडी में गया था, वहां मैंने देखा, गुड़ जहां पैदा होता है वह भी देखा और मुझे आशा है कि दो एक दिन में हम ऐसे कदम उठायेंगे जिनसे गुड़ की भी कीमतें बढ़ेंगी और यह जो कठिनाई आई है उस पर हम काफ़ी हद तक काबू पा सकेंगे ।

डा० जैड० ए० अहमद : सभापति महोदय, आपने जवाब तो विस्तार में दिया लेकिन जो मुख्य बातें मैंने पूछी थीं वह ये थीं कि यह कर्जा पुराना बन जाने पर करोड़ों रुपये हो जाएगा और इस साल और पैदा हो जाएगा क्योंकि मिलों को जो गन्ना आता है, मिलें बन्द हो गई हैं । आप जब तक मिलों को नहीं खुलवाते, यू० पी० के अन्दर 72 मिलें बन्द हैं, क्रशर वन्द हैं, जब तक मिलों को आप नहीं खुलवाते गन्ना खड़ा रह जाएगा और किसान बरबाद होगा ।

मेरा प्रश्न यह है कि आप मिलों को खुलवाने के लिए और किसानो को उचित दाम दिलवाने के लिए क्या कर रहे है । मिलों ने हड़ताल की हुई है और वह अपनी पूरी शर्तें मनवाना चाहते है और वे शर्तें फ्री ट्रेड, फ्री सेल शुगर करवाना चाहते हैं । इसके लिए आप क्या करेंगे कि उनकी शर्तें न मानी जायें और मिलें भी खुल जायें । किसान आज बरबाद हो रहा है । आपने बड़ी-बड़ी मिलों को कंसेशंस दिये है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, डाक्टर डाक्टर साहब का मैं बड़ा आदर करता हूं मगर उनकी सूचनाएं पुरानी हैं । मिलें सब चालू हो चुकी हैं । कल मैंने जो दौरा किया उसमें मैंने देखा सब मिलें चल रही हैं । किसानों के हितों को जहां तक बात है उसी को सुरक्षित रखने की दृष्टि से हमने यह किया कि है मिलों में गन्ना कम करने का अवसर नहीं किया जाएगा । हम यह बार-बार आश्वासन भी दे चुके हैं कि किसानों की जो कीमतें गन्ने की मिलती रही हैं वह मिलती रहेंगी । अगर कोई मिल वाला इसको नहीं मानेगा तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाने के लिये हम तैयार है ।

डा० जैड० ए० अहमद : यानी नौ रुपये, जो मिलें दे रही हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : नहीं साहब, साढ़े बारह रुपये । माननीय सदस्य ने जो वोक्यूम-पैन फैक्टरी की बात कही है, मेरा कहना है कि वह चल रही है और जो निश्चित भाव हैं उस पर ही वे गन्ना खरीदेंगे । जहां तक खंडसारी का संबंध है उसके लिये हमारा कोई नियंत्रण नहीं है । यह नियंत्रण राज्य सरकार का है । मैंने कल दौरे में देखा है कि सिर्फ दो फैक्टरियां ऐसी जरूर मिली हैं जिनके बारे में कोई जांच नहीं कर सके । ऐसा मालूम होता है कि वे निर्धारित रकम से कम पर गन्ना खरीद रही हैं और बाकी फैक्टरियां जो रास्ते में आई वे उसी दर को अदा कर रही हैं जो निश्चित है ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास उन फैक्टरियों के खिलाफ कदम उठाने के लिये क्या अधिकार है यदि वे निर्धारित रकम से कम पैसा किसानों को चुकायेंगे ? क्या कोई ऐसे अधिकार की कमी है या अधिकार का उपयोग नहीं हुआ है जिसकी वजह से उनके खिलाफ कदम नही उठाये जा सकते हैं ? दूसरे, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इन कीमतों को स्थिर रखने की दृष्टि से और किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सरकार ने गुड़ के मामले मे, विशेषकर अगाऊ सौदे के विषय में कुछ मंजूर करने का निश्चय किया है अथवा नहीं ?

MR. CHAIRMAN: Answers also may be brief because one question cannot take the entire hour.

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं बहुत ब्रीफ में जवाब दूंगा । श्रीमन्, जहां तक किसानों को बड़ी मिलों द्वारा गन्ने की कीमत दिलाने का संबंध है मैं कह चुका हूं कि हम लोग दृढ़ संकल्प हैं कि उनको कीमत दिलाई जाए । अभी ऐसा कोई अवसर नही आया है जहां निर्धारित कीमत किसानों की अदा न की गई हो । हां, अगर ऐसा अवसर आया कि उनको निर्धारित कीमत न दी गई तो हम उन्हें अवश्य दिलायेंगे भले ही हमें कानून में तबदीली लानी पड़े । दूसरी बात जो अगाऊ सौदे की बात कही गयी है, मै कहना चाहता हूं कि अगर उस बारे में हम संतुष्ट हैं कि गुड़ बनाने वालों को कोई लाभ होगा जो जरूर उस पर विचार करेंगे, उस ओर जरूर ध्यान देंगे । लेकिन अगर व्यापारियों को उससे लाभ होने वाला है तो फिर हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते ।

SHRI N. G. RANGA: Sir, this question deals pecifically with arrears payable to the cane-growers and it is an all-India problem—not confined to U P. and Bihar alone. Unfortunately, throughout, the Minister and the questioners confined their attention to U.P. and Bihar alone. Now, in view of the fact that these arrears go on accumulating to the tune of Rs. 54 crores and they find that some portion of it is not being paid to the growers on account of the so-called inability on the part of the mill-owners to identify the growers themselves, would the Government take steps, legislative or administrative or both, to see that a maximum period is fixed

before which all the payments should be made, that is, within two years, and then whatever arrears remain to be paid should be funded for the welfare of the farmers and not given over to the Government to be utilised as they like?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Sir, the arrears are not increasing. In 1973-74, on the last day of the sugar season, that is, 30th September, the arrears were Rs. 12.84 crores. In 1974-75 they were Rs. 23.73 crores. In 1975-76 they came down to Rs. 14.0 crores and last year they were Rs. 14.48 crores. So, it is not correct to say that the arrears are increasing. In terms of percentage it has been 2.7, 4, 2.8 and last year, only 2.5: So, it is not correct to say that the arrears are increasing. Nevertheless, we are constantly vigilant and we keep on reminding the State Governments. In fact, since I have taken over, I keep on checking the payments made by individual factories and write to the Chief Ministers concerned that they should look into the arrear position in respect of certain factories. So I am as much anxious to see that the farmers are paid promptly. The second point raised is that whatever is left unpaid should not be utilised for general purposes. This, we have said, should be utilised for the development of cane.

SHRI N G RANGA: What is the use? What I suggest is that it should be funded for special welfare of the cane growers, and not be utilised by the Government according to their wishes.

MR. CHAIRMAN: That is your suggestion.

श्री प्रकाश मेहरोत्रा : मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है उससे ऐसा लगता है कि केन प्राइसेस एक पैरेनियल प्रोबलम हो गया है। हर वर्ष काफी पैसा ऐसा रह जाता है जो किसानों को नहीं मिल पाता है। होता यह है कि मिल वाले अपनी कैपिटल न इम्प्लोय करके केन ग्रोवर्स का पैसा अपनी वर्किंग कैपिटल में इम्प्लोय कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी कोई ऐसा स्टेट्यूटरी प्रोविजन करेंगे जिससे कि शुगर केन स्टाक पर जो एडवांस मिलों को दिया जाता है उसमें से केन प्राइस को डिडेक्ट करके एक अलग एकाउन्ट खोल दिया जाय और उसमें से केन प्राइस की पेमेन्ट डिडेक्ट करके मिलों को एडवान्स दिया जाय ?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, मुझे इस बात का खेद है कि माननीय सदस्य ने मेरी बात को पूरी तरह से सुना नहीं है। मैं यह बात पहले ही कह चुका हूं कि जो एडवान्स दिया जाता है, उसका दो हिस्सों में एकाउन्ट होता है जिसमें से गन्ना उत्पादकों को अदायगी होती है। उस हिस्से में से उनको 85 प्रतिशत पैसा अदायगी में ही देना होता है। उसका कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं हो सकता है।

श्री हर्षदेव मालवीय : मान्यवर, एक बड़े ही आदरणीय संस्कृत के विद्वान आचार्य दीपंकर जी हैं जिन्होंने इस प्रश्न पर कई दिनों से मेरठ क्षेत्र में भूख-हड़ताल कर रखी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी उनकी भूख-हड़ताल तुड़वाने के लिए कोई प्रयास करेंगे ? वे बेचारे कई दिनों से भूख-हड़ताल पर हैं और भूखों मर रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, जहां तक उनकी विद्वता का संबंध है, मैं उनका आदर करता हूं। परन्तु भूख-हड़ताल के तरीकों को बिलकुल गलत समझता हूं।

DR. V. B. SINGH: Sir, it is not merely an accounting question of tansferring money from one year to another. This is a perpetual source of trouble for the cultivators. The hon. Minister in his private capacity is a cultivator, but cultivator is not a monolithic category. Every cultivator is not as resourceful and as big as he is. Sir, let us think of the smaller ones, and the harassment to which they are subjected. Therefore, my suggestion is

that this arrear may be commuted into shares and the mills or factories may be converted into co-operatives.

MR. CHAIRMAN: It is a suggestion for his consideration.

DR. V. B. SINGH: But, what is his reaction? Sir, he is a very intelligent person. He has immediate reactions.

MR. CHAIRMAN: Let him say whether he is going to consider it, or not.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Sir, I deny the fact that the arrears are growing.

DR. V. B. SINGH: I do not say that. I say it is perpetual.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Sir, the amount involved is so small that nothing will be achieved in this way. As against an amount of Rs. 576 crores that was payable last year, an amount of Rs. 14 crores only remains. Now, if we divide it over 80 mills and the growers, it will serve no useful purpose.

श्री सीताराम केसरी : सभापति जी, आप जानते है कि यह सरकार किसानों की बहुत बड़ी हिमायती बनती है, विशेष कर यह जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में किसानों के हितों की बहुत बड़ी हिमायती बनती है। यह भी सब लोग जानते है कि शुगर के अन्दर जो नियंत्रण था उस नीति में इन्होंने ढीलापन दिया। मै यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने कोई ऐसा निर्णय लिया है, जिससे कि इस दिशा मे सुधार हो और चीनी का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो? विगत वर्ष डेढ सौ रुपये प्रति क्विंटल गुड़ बिकता था, इस वक्त वह 50 से 70 रुपये के बीच बिक रहा है। गत वर्ष 11 रुपये क्विंटल शुगर केन के भाव थे, इस समय वह 5–6 रुपये क्विंटल है।

MR. CHAIRMAN: Be brief.

श्री सीताराम केसरी : मै मंत्री महोदय, से यह जानना चाहता हू कि यह निर्यात की नीति जो उन्होंने अक्तूबर महीने मे पुन: तय की है, उस के बारे में मंत्रीगण विभिन्न वक्तव्य देते हैं कभी पक्ष मे और कभी विपक्ष में, जिससे यह परिस्थिति पैदा हो गई है।

MR. CHAIRMAN: I can hear that. The time is running out.

श्री सीताराम केसरी : नवम्बर और दिसम्बर मे मिलों को खुलवाया जाना चाहिए था, मगर नही खुलवा सके, जिसकी वजह से 30 लाख टन शुगर केन पड़ा हुआ है।

MR. CHAIRMAN: Please finish your supplementary.

श्री सीताराम केसरी : इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस दिशा मे उन्होंने क्या कदम उठाये है। क्या वे निकट भविष्य मे कोई ऐसी नीति इस मूल्यों मे नियंत्रण हेतु बनायेंगे जिसमे कि किसानों का हित हो?

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं इस सदन मे कि आज जो गन्ना उत्पादकों की दुर्दशा है, उसका मुख्य कारण यह है कि पिछली सरकार से कोई प्लान्ड क्रापिंग किया ही नही। अपनी मर्जी से .... (*Interruptions*)

श्री सीताराम केसरी : दाम इतने कम क्यों हुए? . . .

(*Interruptions*)

श्री भानु प्रताप सिंह : इतना अधिक गन्ना पैदा हुआ है, जिसकी न तो देश में खपत होने की सम्भावना है और न ही विदेश मे मांग है। इस कठिन परिस्थिति मे भी हम जो कुछ सम्भव है, वह सब कर रहे हैं। हमने गुड़ और चीनी दोनों का निर्यात खोल दिया है। किसानों को वही मूल्य

दिलाने की बात कही गई है जो वे पाते रहे हैं। इसके सम्बन्ध मे मैं कह चुका हू कि इसके लिये जो भी सम्भव होगा वह किया जायेगा। यदि कानून मे भी परिवर्तन करना पड़े तो किया जायेगा। किसानों को उचित कीमत और गुड़ वालों को राहत देने के लिये जैसा कि मैने निवेदन किया दो एक दिन मे हम लोग घोषणा करने वाले है, जिससे उनको राहत मिल सके।

श्री सीताराम केसरी : नवम्बर, दिसम्बर मे शुगर फैक्टरीज को क्यों नही खुलवाया गया? चुनाव के लिये फंड लिया गया, पैसा लिया गया मिल वालों से . . .

(*Interruptions*)

श्री भानु प्रताप सिंह : यह आपके जमाने की बात है . . .

MR. CHAIRMAN: This is not the way of putting the supplementaries. You stop it.

श्री भानु प्रताप सिंह : चीनी मिलों से पैसा लेने की कोई बात नही है। यह आपके जमाने की बात है। श्रीमन्, ऐसा है कि चीनी इस साल ज्यादा बनेगी, पिछले किसी भी साल की तुलना मे। इसलिये यह कहना कि कम पेरा गया, ठीक नही। अधिक से अधिक गन्ना पेरा जायेगा।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, . . .
I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: No point of order during the Question Hour. I will not allow that. (*Interruptions*) I am here. I tell the hon. Minister that it was decided by the entire House that no point of order should be raised in the Question Hour.

SHRI RAJNARAIN: I am putting a question, not raising a point of order.

MR. CHAIRMAN: You cannot put a question.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, उन्होने यह कहा कि मिल मालिकों से काफी पैसा लिया गया है, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं . . .

(*Interruptions*)

SHRI SANAT KUMAR RAHA: Is it not a fact that because of the inability of the mill-owners to pay the arrears to the cane-growers in due time and also only to encourage the mill-owners to pay the arrears the Government has enhanced the levy price of sugar recently?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: It is not at all a fact.

Prohibition in Defence Forces

*184. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE: Will the Minister of EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many high-ranking officers in the Defence Forces have assured the Prime Minister that they will fall in line with the Government's prohibition policy; and

(b) if so, whether Government have taken any steps in this regard and with what results?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) We are not aware that any high ranking officers in the Defence Forces were asked for, or gave, any assurance to the Prime Minister in this regard.

(b) Does not arise.

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : श्रीमन, समाचार पत्रों मे इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था कि बहुत से हाई रैंकिंग डिफेन्स आफिसर्स ने प्राइम मिनिस्टर से सहानुभूति प्रकट की और कहा था कि हम बहुत से लोग प्रोहिबिशन पालिसी में सहायता देने के लिये तैयार है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि शिक्षा मंत्री जी को इस चीज की कोई खबर नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री जी